

## कार्यालय

### सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सखनऊ

संख्या:- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

सखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाए:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ/प्र सखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संपादित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटीक पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ/प्र सखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1175-SWAMI KALYANDEV POLYTECHNIC INSTITUTE, BEHRA SADAT, POST-KAKRAOLI JANSATH, MUZAFFARNAGAR

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम                    | ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|-------------------------------------|--|---|
| 1       | CIVIL ENGINEERING                   | 60   | 60  |
| 2       | ELECTRICAL ENGINEERING              | 60   | 60  |
| 3       | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 30   | 30  |
| 4       | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 90   | 90  |
| 5       | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING    | 30   | 30  |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमन 1962 सेमेन्टर विनियमन-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सैल एवं इन्फो पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00- प्रतिवर्ष की दर पर करेगी।

पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (50प्र0) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जमा) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 50प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 50प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 50प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नखतक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता

समाप्त कर दी जाएगी।

- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनान्तरक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SWAMI KALYANDEV POLYTECHNIC INSTITUTE, BEHRA SADAT, POST-  
KAKRAOLI JANSHATH, MUZAFFARNAGAR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

काशीनग,

उच्च, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश (सबनर)

संख्या - प्राविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संख्या: दिनांक: 30/08/2022

काशीनग, काप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/काशीनग काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विभागात्मक स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 संख्या से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवंटित नई संस्थाओं की सम्बद्धता। पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्ने नये निर्णय के अनुसार में विद्यमान संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 संख्या से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1175-SWAMI KALYANDEV POLYTECHNIC INSTITUTE

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम                    | ए0आइ0ओसी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|-------------------------------------|--|---|
| 1       | CIVIL ENGINEERING                   | 60   | 60  |
| 2       | ELECTRICAL ENGINEERING              | 60   | 60  |
| 3       | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 30   | 30  |
| 4       | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 60   | 60  |
| 5       | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING    | 30   | 30  |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आइ0ओसी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद/एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2009, संशोधित विनियमावली-2016 तथा संशोधित-2018 पर निर्भर शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹0- 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मिकी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मिकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0- 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क से पर्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में संशोधित-2018 पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा।
- ✓ संस्था को संशोधित-2018 पर निर्भर शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधि/विनियम/अधिनियम/शासनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 30/08/2022 संख्या से सम्बद्धता परीक्षा परिषद, 30/08/2022 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि सम्बन्धित का ए0आइ0ओसी0टी0ई0/पी0सी0आई0 में अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संस्था में सम्बन्धित सम्बद्धता सम्बद्धता

का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उपलब्धी होती। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद प्रादेशिक शिक्षा विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है जहां कानून के अन्तर्गत संस्था द्वारा किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धी कार्यवाही आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिस्पर्धी कार्यवाही खारिज होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष घोषित हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व (10/10/2022/10/10/2022/10/10/2022) से अनुसूचित प्रायः प्रविष्टि परीक्षाओं को उपलब्ध कराया होगा अतः संस्था को प्रविष्टि परीक्षा के आयोजन के लिए प्रविष्टि परीक्षा के आयोजन से पूर्व प्रविष्टि परीक्षा के आयोजन पर पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित हेतु संस्था-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को प्रविष्टि परीक्षा पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाओं को संस्था की वेबसाइट पर प्रकाशित करना, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को प्रविष्टि परीक्षा हेतु उपयुक्त कक्षाएं उपलब्ध कराने के साथ विविध शैक्षणिक सम्बन्धों में सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित कार्यक्रमों को चलाने वाले हेतु विधिक समिति के सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन, भूमि-अवकाश, जमीन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और प्रविष्टि परीक्षा में प्रयोग की जाती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बन्धित सम्बन्धित कार्यवाही करनी होगी।
- ✓ संस्था के अधिकारी स्थायी निवास के दौरान यदि संस्था में भूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा (10/10/2022/10/10/2022/10/10/2022) प्रविष्टि परीक्षा के आयोजन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संस्था की सम्बन्धित सम्बन्धित कार्यवाही करनी होगी।
- ✓ सम्बन्धित कार्यवाही का अनुपालन न किया जाने सम्बन्धित कार्यवाही का उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में विद्यमान आदेशों का अनुपालन आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।

(एक/आर/बान)

सचिव

पु080- प्राविष्टि/परिषद सम्बन्धित/2022/7818-9455

दिनांक: 30/08/2022

प्राविष्टि

संस्था का नाम: SWAMI KALYANDEV POLYTECHNIC INSTITUTE

(एक/आर/बान)

सचिव

# 2023-24

कार्यालय,

अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय आप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वीकेंस सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से मंचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 24-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को घटत अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु विस्तारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1175-SWAMI KALYANDEV POLYTECHNIC INSTITUTE

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम                    | पठ्यक्रम की संख्या/ पीसीआईए द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|-------------------------------------|---|---|
| 1       | CIVIL ENGINEERING                   | 60  | 60  |
| 2       | ELECTRICAL ENGINEERING              | 60  | 60  |
| 3       | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 30  | 30  |
| 4       | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 90  | 90  |
| 5       | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING    | 30  | 30  |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 311/12-309WB/2022 टी0सी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व में मंचालित सम्बद्धता संस्थाओं की शर्तों के विस्तृत अखिल भारतीय न्यायालय में बंदिता रिट प्राविधिक संख्या 6027/2023 में आभासी न्यायालय के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता विस्तार की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।

- ✓ अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्यकारी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली के सलाह के अनुसार संस्था में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, बैंक उपकरण) अद्य उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमकारी 1992 विनियमकारी-2000, त्रिमेस्त विनियमकारी-2016 तथा समक-समय पर निर्गत वास्तवदोषों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विधेयण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से प्रायिक खर्च/आय में प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त वास्तवदोषों से शुल्क के सम्बन्ध में समक-समय पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले वास्तवदोष प्रस्तावी होने और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आशय्य होगा। वीस विधेयण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में समक प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा।
- ✓ संस्था को समक-समय पर निर्गत वास्तवदोषों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराया होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश वास्तव द्वारा निर्गत विधि/निर्देश/अधिनियम/वास्तवदोष/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 3090, समक प्रवेश परीक्षा परिषद्, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 3090 द्वारा कलावे तम विषयों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करना के लिये आवश्यक है।
- ✓ यदि संस्था का अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्यकारी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संघ में समस्त उपकरण/संसाधन का योग और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, समक प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश वास्तव के विरुद्ध यदि कोई काट टाकर किया जाता है तथा टाकर काट के संबंध में आ. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्था को समक प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सम्बद्ध द्वारा प्रायिक रूप के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के पूर्व अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्यकारी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं की जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समक-समय पर निर्गत नवीनतम आदेश विषयों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति प्रति, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, वास्तव शुल्क अदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपयुक्त वास्तव उपकरण बनाने के लिए निर्गत होने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक वास्तव सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित वास्तव को बनाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपकरण कार्यवाही सुनिश्चित, भूमि-भवन, कमीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वास्तव के अभाव में प्रदान किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रदान किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति, संस्था को समक दिया जाता विनियमकारी, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद् की सेवा पर अपने कार्यवाही, भवन और कमीयर को परिषद् को परीक्षा के सम्बन्ध के लिए परिषद् के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, धर्मोपकरण, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एवं/नई/पूरी/दो/अधीन/अधीन/परिषद् के प्रावधानानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त हो जावेगी।
- ✓ सम्बद्धता पत्रों का अनुपालन न किये जाने अथवा पत्रों का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुवास्तवदोष कार्यवाही की जावेगी।

A

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

दिनांक: 12-09-2023

पु0सं0- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SWAMI KALYANDEV POLYTECHNIC INSTITUTE



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव